उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज

पत्रांक : 7198 /चयन/2020–21 दिनांक 08.09.2020

विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या–01/2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की परीक्षा दिनांक 08 एवं 09 मार्च, 2019 को सम्पन्न हुई थी। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक शारीरिक शिक्षा की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 फरवरी, 2020 से 02 मार्च, 2020 तक आयोजित किया गया था। चयन बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या–4742/चयन/2019–20 दिनांक 19.03.2020 द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम–12 (8) के अन्तर्गत उक्त विषय का पैनल, मेरिट सूची तथा कटआफ जारी किया गया था।

इसके पश्चात् कतिपय अभ्यर्थियों से इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुये कि अभ्यर्थियों को अधिमानी अर्हताओं (बी0एड0, एम0एड0, पी0एच0डी0 तथा खेलकूद) पर नियमों के अनुसार अंक प्रदान नही किये गये है। बोर्ड द्वारा उक्त के सम्बन्ध में परीक्षण किये जाने पर विशेष योग्यता के सम्बन्ध में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 के नियम 12 के उपनियम (4)(ग) के प्रावधान के कार्यान्वयन में कतिपय कमियाँ पायी गई। पायी गई कमियों का नियम 12(4)(ग) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार निराकरण करते हुये उक्त नियमावली के नियम–12 (8) के अन्तर्गत संशोधित पैनल, मेरिट तथा कटआफ संलग्न विवरण अनुसार दिनांक 08.09.2020 को घोषित किया गया।

घोषित पैनल के कालम 'SELECTION AS' में जिनके सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) अंकित नहीं है उनके नाम 'रिक्तियों की संख्या से अधिक' के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं, इस श्रेणी के अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाना है। घोषित पैनल के कालम 'SELECTION AS' में जिनके नाम के सामने अनारक्षित (UR)/आरक्षण श्रेणी (OBC/SC/ST) प्रदर्शित है, उनका संस्था आवंटन रिक्तियों की संख्या के अनुरूप उपरोक्त नियमावली, 1998 के नियम–12 (10) के अनुसार बोर्ड द्वारा बाद में किया जायेगा।

नियम 12 (10) के अन्तर्गत आवंटित संस्था में यदि कोई चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहेगा, तो उसके स्थान पर पैनल में उल्लिखित **'रिक्तियों की संख्या से अधिक'** के अन्तर्गत अंकित अभ्यर्थियों के नाम में से योग्यता क्रम से संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमावली 1998 के नियम 13 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(9) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार साक्षात्कार के समय विज्ञापित संस्थाओं की अधिमानता आनलाइन भरी गयी थी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदित आरक्षण श्रेणी का ही विद्यालय संस्था आवंटन हेतु तत्समय प्रदर्शित किया गया था। अन्तिम चयन परिणाम में कतिपय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित है परन्तु सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता न होने के कारण उनकी अधिमानता अब शून्य है। **इसलिए मात्र आरक्षित श्रेणी (OBC, SC, ST) के ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी में चयनित है, उन्हें सामान्य श्रेणी की संस्था की अधिमानता का आनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09.09.2020 से दिनांक 16.09.2020 तक का समय प्रदान किया जाता है। अधिमानता आनलाइन भरने का लिंक चयन बोर्ड की अधिकारिक बेवसाइट www.upsessb.org पर उपलब्ध है जिस पर जाकर अभ्यर्थी अपनी अधिमानता भर सकते हैं।**

08-09-2020
नवल किशोर
उपसचिव